न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/31/2021

विशम्भर दयाल गुप्ता, 1जी–18 एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भरतपुर ।

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 15.04.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट विशम्भर दयाल गुप्ता, 1जी–18 एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.2021 अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर से सूचना चाही गई थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/263 दिनांक 22.03.2021 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर से उनके पत्र कमांक/923 दिनांक 26.03.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर ने अपने जबाव पत्र कमांक 923 दिनांक 26.03.2021 में अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.02.2021 के द्वारा उसके प्रार्थना पत्र में वर्णित आर्म्स लाइसेन्स से सबंधित दो बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। इसी सूचना के कम में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.06.2018 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत तीन बिन्दुओं की बाबत् समान प्रकृति की सूचना चाही गई थी। पूर्व आवेदन में वर्णित सूचना के सम्बन्ध में आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर में अपीलान्ट द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत करने पर माननीय आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के सूचना आयोगों का हवाला देते हुए दिनांक 23.04.2019 को यह निर्णय पारित किया गया कि

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

" अपीलार्थी को परपक्ष से सबंधित सूचना प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी को आवेदन के अनुरूप विगत पांच वर्ष में आर्म्स लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या तथा बिन्दु संख्या 2 में दिनांक 01.04.2017 से आवेदन की तिथि तक तक जारी आर्म्स लाइसेंसो की संख्या से अवगत कराया जावे "। उक्त निर्णय की पालना में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 2289 दिनांक 27.12.2019 द्वारा संख्यात्मक सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलान्ट को उपलब्ध करा दी गई। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01.09.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 3 बिन्दुओं के सम्बन्ध में रिकार्ड अवलोकन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस बावत उनके द्वारा दिनांक 19.10.2020 को कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित रिकार्ड का अवलोकन भी किया गया। बाद अवलोकन अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में संधारित किये जाने वाले रजिस्टर की सूचना चाही गई थी। इसके लिए कार्यालय में प्राप्त होने वाले शस्त्र अनुज्ञा पत्रों के आवेदनों का रिकार्ड कम्प्यूटर में संधारित सूची भी अपीलान्ट को उपलब्ध करा दी गई । लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जबाब में यह भी अंकित किया है कि अपीलान्ट ने तृतीय पक्षकार से सबंधित सूचना की अपेक्षा की है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) एवं 11(1) के तहत अदेयता की श्रेणी में आता हैं। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा उसके आवेदन दिनांक 16.02.2021 से चाही गई सूचना लोकसूचना अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 662 दिनांक 04.03.2021 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है जिसकी प्रति लोकसूचना अधिकारी द्वारा अपने जबाब के साथ संलग्न की है। जाहिर है कि लोकसूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर द्वारा अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। इस कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर को भी भेजी जावे। अपीलान्ट निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर निर्णय की अपील माननीय सूचना आयोग में करने हेतु स्वतन्त्र है।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर